

पेंशनर का शिकायती प्रारूप

1.	पेंशनर का नाम	
2.	पता	
3	शिकायत की दिनांक	
4.	इस कार्यालय द्वारा जारी विशेष मुद्रा प्राधिकृति / पी.पी.ओ. संख्या	
5	शिकायत की प्रकृति	
6	सम्पर्क नं0	
	दूरभाष नं0	
	मोबाइल नं0	
	ई— मेल पता	
7	टिप्पणी	

हस्ताक्षर

टिप्पणी:-कृपया उपरोक्त सूचना भरकर निम्न पते पर भेजे “agaerajasthan@cag.gov.in” कर प्रेषित करे ।

इस कार्यालय द्वारा शीघ्र आपसे सम्पर्क किया जाएगा ।

2. राजस्थान सरकार के ऐसे पेंशनर जो राजस्थान के बाहर किसी अन्य राज्य से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं अथवा अन्य राज्यों से सेवानिवृत वें पेंशनर जो इस कार्यालय के माध्यम से राजस्थान के किसी भी कोषालय से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ही इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी पेंशन सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करवाने का श्रम करे ।
3. राजस्थान सरकार के ऐसे पेंशनर जो राजस्थान राज्य में स्थित कोषालयों के माध्यम से अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वें अपनी शिकायत/ समस्या के समाधान हेतु निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्राचार करने का श्रम करे ।